जनपद - संतकबीरनगर　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　दिनॉक 13-04-2021

आज दिनांक 13.04.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

थाना धनघटा पुलिस द्वारा पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब के वितरण व परिवहन के विरुद्ध चलाये गये अभियान अन्तर्गत 225 शीशी अवैध बंटी बबली ब्राण्ड कच्ची शराब (45 ली0) बरामद

थाना धनघटा पुलिस द्वारा पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब के वितरण व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से वितरण हेतु ले जायी जा रही 05 पेटी में कुल 225 शीशी बंटी बबली ब्राण्ड अवैध कच्ची शराब (कुल 45 ली0) को जिगिना चौराहे के पास से मारुती सुजुकी कार रजि0नं0 एचआर 51 एबी 2481 में बरामद कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 191/2021 धारा 60 / 72 आबकारी अधिनियम व 171 एफ भा0द0वि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

बरामदगी का विवरण – दिनांक 12.04.2021 की रात्रि में उ0नि0 लाल बिहारी निषाद मय हमराह आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत क्षेत्र में पैदल गश्त व संदिग्ध वाहन / व्यक्ति चेकिंग कर रहे थे कि तभी एक संदिग्ध कार संठी चौराहे की तरफ से आते दिखाई दी जिसे रोकने का इशारा किया गया तो अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन चालक गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। गाड़ी की चेकिंग के दौरान गाड़ी की डिग्गी से 05 पेटी (225 शीशी - 1 शीशी में 200 मिली) अवैध बंटी बबली ब्राण्ड शराब की बोतलें बरामद हुईं । बरामदगी के आधार पर थाना मुकामी पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, हे0का0 विनोद कुमार यादव, का0 आदित्य सिह, का0 रघुवंश प्रसाद।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा निष्पक्ष पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से जनता में बांटने के उद्देश्य से ले जायी जा रही 12 साड़िया (कीमत 6 हजार रु0) बरामद की गयी

दिनांक 12.04.2021 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अम्बरीष भदौरिया के पर्यवेक्षण में **त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को** निष्पक्ष, सकुशल, भयमुक्त एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा के नेतृत्व में पंचायत चुनाव में प्रलोभन देकर जनता को प्रभावित कर अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत अशरफपुर से ग्रामवासियों के सहयोग से पकड़ी गयी दो मोटरसाइकिलों (बिना रजि0 नं0 की काली रंग पल्सर व टीवीएस स्टार रजि0 नं0 – यूपी 53 बी 6584 व एक बोरी में 12 अदद साड़िया बरामद की गयी । बरामदगी के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 192 /2021 धारा 171 (एफ) भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, हे0का0 राधेश्याम वर्मा, हे0का0 विनोद कुमार यादव, का0 दीप नरायण शर्मा ।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब के वितरण व परिवहन के विरुद्ध चलाये गये अभियान अन्तर्गत 104 शीशी अवैध बंटी बबली ब्राण्ड कच्ची शराब (लगभग 21 ली0) बरामद

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब के वितरण व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से वितरण हेतु ले जायी जा रही 104 शीशी बंटी बबली ब्राण्ड अवैध कच्ची शराब (कुल 21 ली0) को गनवरिया के पास से 03 मोटरसाइकिलों पर 05 व्यक्तियों – 1- अपाचे मोटरसाइकिल (रजि0 नं0 यूपी 55 जेड 4962) पर सवार कमलेश कुमार पुत्र रामकेश व अर्जुन पुत्र शिवप्रसाद निवासीगण धोबहा थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर के पास बंटी

बबली ब्राण्ड देशी शराब की 200 मिली की कुल 45 शीशी अवैध शराब बरामद की गयी 2- सुपर स्पलेण्डर (बिना रजि0 नं0 की) पर सवार बिजय कुमार पुत्र बेकारु व रामकरन पुत्र नन्दू निवासीगण कुल्हड़िया थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर के पास से बंटी बबली ब्राण्ड देशी शराब की 200 मिली की कुल 35 शीशी अवैध शराब बरामद की गयी 3- एचएफ डीलक्स पर सवार रामबरन पुत्र नन्दू निवासी कुल्हड़िया थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर के पास से बंटी बबली ब्राण्ड देशी शराब की 200 मिली की कुल 24 शीशी अवैध शराब बरामद कर थाना बेलहरकला पर सम्बन्धित अभियुक्तो के पास से बरामद अवैध शराब के सम्बन्ध में क्रमशः मु0अ0सं0 60/2021, 61/21 व 62/21 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री सदरुल आलमीन, उ0नि0 श्री विजय कुमार यादव, हे0का0 राजेश चौरसिया, हे0का0 जयप्रकाश मिश्रा, का0 पुनीत पाठक, का0 सुग्गन सिंह, का0 शैलेश कुमार, का0 भूपेन्द्र प्रताप सिंह, का0 सूर्यप्रकाश।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 02 वारण्टी गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा दविश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता सोहनलाल साहनी पुत्र जगदीश साहनी निवासी मेडरापार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम- उ0नि0 श्री हरेन्द्र पाठक मय़ हमराह ।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा दविश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता सहादत पुत्र मो0 समी निवासी अतरी नानकार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम- हे0का0 श्री लक्ष्मीकान्त पाठक।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

<u>पीआरवी आफ द डे</u>

<u>पीआरवी 2546 द्वारा मारपीट में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल</u> – पीआरवी 2546 को थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत चैनपुर के पास से इवेन्ट संख्या 00217 से कालर ने जान से मारने के प्रयास में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 09 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर घायल व्यक्ति को पीआरवी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट को शान्त कराकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गई। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 रमेश सिंह यादव, आ0 शुभम कुमार गुप्ता, हो0चा0 राकेश गुप्ता।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 89 वाहनो से 64000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 13.04.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 89 वाहनो से 64000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।